

## महिला उत्पीड़न तथा यौन शोषण संबंधी कानून

1. ऐसे सभी व्यवहार जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो अरुचिकर यौन भवना से प्रश्रित हो।
2. शारीरिक संपर्क एवं निकट आने का प्रयत्न।
3. यौन अनुग्रह की मांग।
4. यौन अर्थ से रंजित प्राप्तियां।
5. अश्लील चित्र दिखाना।
6. कोई अन्य अरुचिकर यौन भाव वाला शारीरिक मौखिक अथवा गैर मौखिक संपर्क।
7. ऐसा यौन उत्पीड़न जो अपमान स्वास्थ्य या सुरक्षा का भय दिखाकर किया जावे।
8. ऐसा यौन उत्पीड़न जो विद्वेश या माहौल दूषित होने की संभावना दिखाकर किया जावे।
9. ऐसा यौन उत्पीड़न जो हानिकारक परिणामों की चेतावनी/धमकी देकर किया जावे।
10. छेड़खानी करना।
11. भद्दा मजाक करना।
12. फोन पर अश्लील मजाक करना।
13. किसी स्त्री की स्वतंत्रता को भंग करना या भंग करने का प्रयत्न करना।
14. इच्छा के विरुद्ध –निरुद्ध करना।
15. किसी भी प्रकार की ज्यादाती करना।

अपराध होने पर विभाग प्रमुख, निकटस्थ पुलिस थाना तथा राज्य महिला आयोग को सूचित करें।

पुलिस हेल्प लाईन	फोन नम्बर
थाना प्रभारी कोनी, बिलासपुर	9479193023 07752-260039
महिला हेल्प लाईन	1091
महिला सेल बिलासपुर	9479193024
पुलिस नियंत्रण कक्ष, बिलासपुर	100 22850, 225961 9479193099
नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली, पुलिस बिलासपुर	9479193007
अति. पुलिस अधीक्षक शहर बिलासपुर	9479193002
E-Mail:pcrbilaspur@gmail.com	